मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 61/1050/1(3)79 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 1980.

प्रति,

शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव

विषयः- विभागीय जांच संपन्न करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकारियों की नियुक्ति ।

xxxxx

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि कई विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांचों के अनेक प्रकरण कई वर्षों से लंबित पड़े है । इस का एक कारण यह बताया गया है कि कुछ विभागों के अधीन कार्यरत जिन अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है वे तकनीकी होते है और उन्हें सेवा शर्तों एवं विभागीय जांचों से संबंधित नियमों का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं रहता है एवं उनके पास अन्य विभागीय कार्य भी इतना अधिक होता है कि वे विभागीय जांच के कार्य को भली भांति एवं शीघ्रता से पूर्ण नहीं कर पाते है ।

सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 24-2-75 के ज्ञापन एफ क्र06-1/75/3/1 में यह निर्देश दिये गये थे कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के विरुद्ध केवल भ्रष्टाचार एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों की जांच करने के लिए उस जिले के किसी डिप्टी कलेक्टर को कलेक्टर की अनुमति से जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय । अब यह प्रस्तावित है कि हर संभागीय स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक मामलों से संबंधित विभागीय जांच के लिए स्वतंत्र रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में किसी ऐसे अधिकारी को जांच करने के लिए नियुक्त किया जाए जो या तो प्रवर श्रेणी का डिप्टी कलेक्टर हो या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हो ।

3/ अतः निवेदन है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में आप अपने मत से इस विभाग को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि इस संबंध में निर्णय लिया जा सके ।

(एन0आर0कृष्णन)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग